केस स्टडी- 9/2024

जारी तिथि : 02.04.2024

घटनाक्रम:- दिनांक 23.03.24 को मध्य रेल के सोलापुर (SUR) मण्डल, लोको क्र. 43604/BLEE/WR, ट्रेन क्र. TJSP/BCN, लोड- 43/3685 T, मुंडेवाडी स्टेशन पर डाउन लूप लाइन में स्टेबल थी। लोको पायलट ने गाड़ी का चार्ज लिया और गार्ड उपलब्ध न होने के कारण पॉइंट्समेन की सहायता से लोड चेक किया। पॉइंट्समेन के पास वाकी-टाकी उपलब्ध नहीं था, इसलिए मोबाईल की सहायता से कंटीन्यूटी टेस्ट लिया। गाड़ी रेडी होने के पश्चात स्टेशन मास्टर को सूचित किए बिना लोको पायलट ने लोड को पीछे पुश किया और फिर आगे खींचा। स्टेशन मास्टर द्वारा पॉइंट नंबर 102A D/S का ड्रॉप होना नोटिस किया गया। निरीक्षणोपरांत पाया गया कि ब्रेक वैन के ट्रेलिंग ट्रॉली के सभी पहिये पॉइंट नंबर 102A D/S पर पटरी से उतर गए हैं ।

संभावित कारण:-

- ✓ लोको पायलट द्वारा सुनिश्चित किए बिना कि लाइन के पीछे कितनी जगह खाली है व पीछे का पॉइंट सेट व लॉक है या नहीं, लोड को पीछे पुश करना।
- ✓ लोको पायलट द्वारा Dy. SM को बिना सूचित किए, लोड को 4 Kmph की गति से लगभग 27 मीटर पीछे पुश करना।
- ✓ पॉइंट्समेन के पास वाकी-टाकी का उपलब्ध न होना।
- ✓ पॉइंट नंबर 102A (Derailing Switch) का खुला होना।

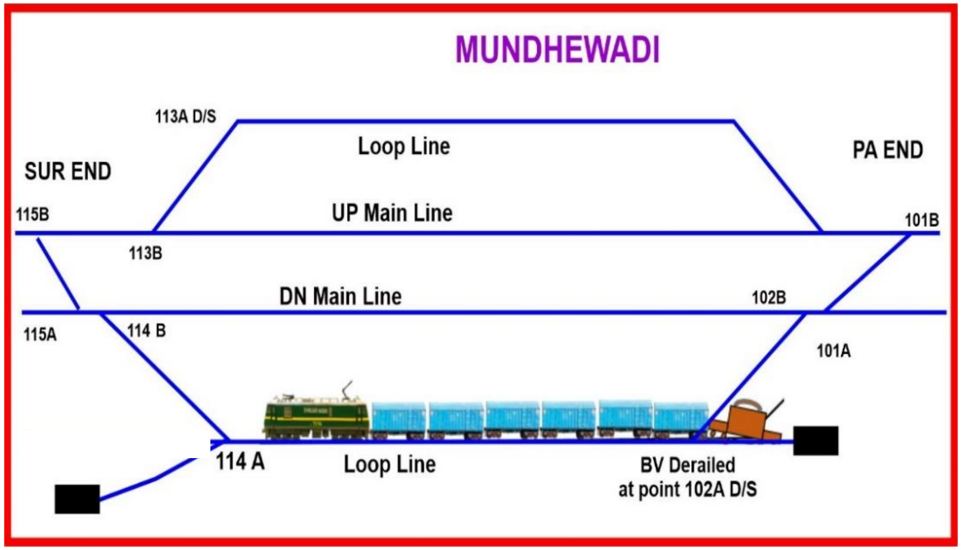

उपरोक्त घटना से सबक:-

- ✓ नागपुर मण्डल में क्रू चेंजिंग पॉइंट में लोड को पीछे लेना मना है।
- ✓ जिस स्टेशन/सेक्शन/यार्ड में काम करना है, उसका पूर्ण LR होना सुनिश्चित करें तथा यार्ड में लगे De-railing Switch से संबन्धित सही जानकारी होनी चाहिए।
- ✓ LP को बिना किसी उचित अधिकार पत्र के गाड़ी का मूवमेंट नहीं करना चाहिए।
- ✓ कर्मीदल को SR 5.14 (b)-(i) का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
- ✓ कर्मीदल को साइन ऑन के बाद मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- ✓ लोको पायलट शंटिंग के दौरान, यदि ब्रेक वेन में गार्ड न हो तो अधिक सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए।

(निखिल सिंह)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।